

प्रेस नोट दिनांक-14.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा यातायात माह के क्रम में आज दिनांक 14.02.21 को यातायात प्रभारी श्री घनश्याम पाण्डेय द्वारा एलईडी जागरूकता वैन के माध्यम से शहर के ट्रफिक चौराहा पटेल तिराहा, एलआइसी तिराहे पर आम जनमानस को यातायात नियमों के पालन के लिए व्यपाक रूप से प्रचार प्रसार कराया गया। इस दौरान जनता के लोगो को डिजिटल प्रचार वाहन के माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकने विषयक चलचित्र एवं संदेश प्रसारित कर लोगो को जागरूक किया गया तथा दो पहिया वाहन एवं चार पहिया हल्के वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें हेलमेट एवं सीटबेल्ट न लगाने वालों का चालान किया गया। रोंग साइड ड्राइविंग को लेकर भी चालकों को जागरूक किया गया तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों से उल्लिखित पम्पलेट भी वितरित किये गए। इस दौरान पीटीओ श्री संतोष तिवारी एवं यातायात पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 34/2021 धारा 376/323/504 भादवि0 के वांछित अभियुक्त कल्लू पटेल उर्फ ज्ञानचन्द्र पुत्र स्व0 जवाहर पटेल निवासी सिरावलमाफी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. श्री अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर
2. उ0नि0 कन्हैया पाण्डेय
3. आरक्षी रोशन
4. महिला आरक्षी बबिता

(3). आज दिनांक 14.02.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों में ग्राम प्रहरियों (ग्राम चौकीदार) के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी। इस क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय द्वारा थाना कोतवाली कर्वी एवं थाना बहिलपुरवा में तथा क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम द्वारा थाना मऊ में गोष्ठी गयी गयी जिसमें ग्राम प्रहरियों को सीटी व पॉकेट डायरी प्रदान की गयी। जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षकों द्वारा अपने-अपने थानों में ग्राम प्रहरियों के साथ गोष्ठी कर उन्हें सीटी व पॉकेट डायरी प्रदान की गयी। इन गोष्ठियों में ग्राम प्रहरियों को आगामी चुनाव के दृष्टिगत सक्रिय रहने हेतु कहा गया तथा गांव में अराजकता फैलाने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनकी सूचना देने हेतु कहा गया, जिससे आगामी चुनावों को सकुशल सम्पन्न कराया जा सके। सभी ग्राम प्रहरियों को बताया गया कि गावों से लाइसेंसधारकों को बताया जाये की अपने-अपने शस्त्र जमा करवाना प्रारम्भ करवा दें जिससे समय से सभी के शस्त्र जमा हो सकें।

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 14.02.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा , बस स्टैंड, बिसंडा तिराहा आदि जगहों में, एंटी रोमियो टीम थाना भारतकूप के द्वारा ग्राम दुगवाँ बहराइ में, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा एवं भैरोपागा में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम अरवारी महाराजा एवं परानु बाबा मंदिर में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा राजापुर बस स्टैंड, तुलसी मंदिर एवं कस्बा राजापुर में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम देवकली में, कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड

हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक क्रिया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

NOTICE FOR HEARING

Shri Lavlesh Pandey,
The Editor in Chief,
Dainik Charcha Aaj Ki,
Village Barhai, Mukundpur,
Post Ghuretanpur,
Tehsil Kurvi, Thana Kotawali Kurvi,
Janpad, Chitrakoot, U.P. 210 205
Email: charchaaajki.@gmail.com
info@charchaaajki.com

Shri Balwant Choudhari,
Addl. Superintendent of Police/
Traffic Directorate,
Vrindavan Yogna Sector 18,
Raibareilly Road, Baraulikhalilabad,
Lucknow, Uttar Pradesh 226 301.
Email: dirtraffic@nic.in

Shri Vipin Kumar Mishra,
Sub Inspector,
S/o Shri Chotelal Mishra,
Village Upadhyaypur,
P.O. Saraymahesh, Thana Patti,
Pratapgarh, U.P. 230 135

Shri Pankaj Singh,
Sub Inspector,
S/o Shri Sabar Singh,
Village Lakshmanpur,
P.O. Saufar thana, Ajitmal,
Janpad, Auraiya 206 122 (U.P.)

Shri Rahul Kumar,
Sub Inspector, S/o Shri Vijay Shankar,
Village & P.O. Pachegda, Thana Adalhaat, Janpad,

Mirzapur (U.P) 231 001

The Chief Secretary,

Government of Uttar Pradesh 101,

Lok Bhawan, U.P. Civil Secretariat,

Vidhan Sabha Marg Lucknow - 226001

Email: csup@nic.in

The Secretary,

Home (Police) Department,

Government of U.P.,

Lucknow (U.P.) 226 001

The Director General of Police,

Uttar Pradesh Police,

Police Headquarters. 1, Tilak Marg,

Lucknow- 226001, Uttar Pradesh

Email: dgp@up.nic.in

Shri Vipin Kumar Mishra,

Sub Inspector, Chowki Bharatkoop,

Chirkoot 210 205, U.P.

Shri Pankaj Kumar Singh,

Station House Officer,

Police Station Fatehgarh,

Banda, Uttar Pradesh 210 001

The Superintendent of Police,

Chitrakoot 210 205 (U.P.)

Shri Rahul Kumar,

Sub Inspector, Chowki Bharatkoop,

Chitrakoot, U.P. 210 205

Subject: Complaint of Shri Lavlesh Pandey, Editor in Chief, Dainik Charcha Aaj Ki, Chitrakoot against Police Authorities.

Sir/Madam,

I am directed to inform you that the Inquiry Committee of the Press Council of India would be considering the above matter on the following date, time and venue: -

Date : 19th February, 2021

Time of hearing : 11:00 a.m.

Venue : Conference Hall, 3rd Floor, Press Council of India,

Soochna Bhawan, 8-CGO Complex,

Lodhi Road, New Delhi-110 003

I am further to inform you that you may appear before the Committee in person and/or be represented by a counsel/representative duly authorized in writing, at the appointed date and time to adduce such relevant evidence, oral or documentary and to make such submissions as you deem necessary in support of your case. You are requested to be present at 10:20 a.m. to register your attendance.

Please note that in default of appearance the matter is likely to be proceeded with and decided on the basis of such material as may be available before the Inquiry Committee. Any adjournment request has to be made citing specific reasons in writing with prior consent of/intimation to the opposite party/parties since Inquiry Committee unlike court does not meet at frequent intervals. Additional papers, if any sought to be submitted shall also be served on the opposite party/parties.

No TA/DA will be paid by the Council in this behalf to you or to your representative or to any witness whom you may produce for giving evidence.

Yours faithfully,

sd/-

(T. Gou Khangin)

Under Secretary (M)